Trade Union Co-ordination Centre (TUCC)
Central Committee
Recognized by:
Ministry of Labour & Empl., Govt. of India
ट्रेड युनियन को-आर्डिनेशन सेन्टर (टी.यु.सी.सी.)
केन्द्रीय कमिटि
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त

संदर्भ संख्या: TUCC/FM/156 तिथि: 06-01-2025

सेवा में,
श्रीमती निर्मला सीतारमण
माननीय वित्त मंत्री, भारत सरकार,
वित्त विभाग
कमरा संख्या 76, उत्तर ब्लॉक, नई दिल्ली-110001 (भारत)

विषय: बजट पूर्व चर्चा में TUCC से सुझाव

मान्यवर,

आपको TUCC की ओर से अंग्रेजी नववर्ष 2025 की शुभकामनाएँ।

TUCC का मानना है कि आपके द्वारा अपनाई गई गतिशील और सक्रिय नीतियाँ और बजट में वित्तीय प्रावधान इस देश के औपचारिक और अनौपचारिक कार्यबल के संघर्ष को कम करने में मदद करेंगी। यह रोजगार सृजन, युवा पीढ़ी में उद्यमिता को बढ़ावा देने और उन्हें टिकाऊ आजीविका की ओर मार्गदर्शन करने में सहायक होगा।

हम आपके समक्ष वित्तीय वर्ष 2025-2026 के बजट के निर्माण के दौरान विचार के लिए कुछ सुझाव प्रस्तुत करना चाहते हैं। हमारे सुझाव निम्नलिखित हैं:

1. सरकार को बिना किसी और देर के वेजेस कोड और सोशल सिक्योरिटी कोड को तत्काल लागू करना चाहिए।
2. 78 लाख EPS पेंशनरों की पेंशन को तत्काल न्यूनतम ₹5000/- प्रति माह किया जाना चाहिए और इसे VDA से जोड़ा जाना चाहिए, ताकि समय-समय पर इसका वृद्धि हो सके और उनके जीवन को आरामदायक बनाया जा सके।
3. स्कीम कार्यकर्ता, जैसे कि आशा, आंगनवाड़ी, मिड-डे मील कार्यकर्ता दुर्भाग्यवश कार्यकर्ता के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं हैं, और इनमें से अधिकांश महिलाएँ हैं। इन्हें कार्यकर्ता की परिभाषा के अंतर्गत लाया जाना चाहिए और उन्हें ESIC और EPFO के तहत कवरेज प्रदान किया जाना चाहिए, जहाँ उनका योगदान केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझा किया जाए, जैसा कि उनका मानदेय होता है। उन्हें माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के हाल के निर्णय के अनुसार वेतन/सैलरी दी जानी चाहिए।
4. निर्माण श्रमिकों को पूरे देश में आयुष्मान कार्ड का लाभ सुनिश्चित किया जाना चाहिए या फिर उन्हें ESIC के तहत कवर किया जाना चाहिए, जहाँ संबंधित राज्य BOCWW बोर्डों से एकत्रित सेस से योगदान लिया जाए।
6. गिग श्रमिकों को कार्यकर्ता के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए, इसके लिए न्यूनतम वेतन और सामाजिक सुरक्षा के प्रावधान किए जाने चाहिए।
6. 12 मिलियन घरेलू श्रमिकों को कार्यकर्ता का दर्जा दिया जाना चाहिए और उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए, जिसमें योगदान RWA या भर्ती एजेंसियों द्वारा किया जाए।
7. JPMA-1987 को सही रूप में लागू किया जाना चाहिए और पश्चिम बंगाल के जूट मिलों को FCI और अन्य राज्य सरकारों से जूट बैग के पर्याप्त आदेश दिए जाने चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कोई भी अनुशासनहीन जूट मिल जो अपने श्रमिकों को ESIC और EPFO सुविधाएं नहीं दे रही है, उसे इन आदेशों से वंचित कर दिया जाए।

आपकी कृपा से हमारे ये सुझाव बजट निर्माण में शामिल किए जाएंगे, इस आशा के साथ हम अपने पत्र को समाप्त करते हैं।

: 28, EAST GHOSHPARA ROAD, P.O.- SHYAMNAGAR, KOLKATA-743127 : 033 2586 1343 : +91 94330 31343
: tuccindia@gmail.com / tucc_cc@yahoo.co.in : www.tuccindia.org : tuccindia : tuccindia

8. आयकर छूट की सीमा को बढ़ाकर वार्षिक ₹10 लाख किया जाना चाहिए।
9. देशभर में मछुआरों की बड़ी संख्या है, जो शीतलन अवधि के दौरान पीड़ित होते हैं, उन्हें डिजिटल पंजीकरण और DBT मोड के माध्यम से वित्तीय सहायता का हस्तांतरण किया जाना चाहिए और उनके लिए एक कल्याण बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए, जो उन्हें टिकाऊ आजीविका के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करें।
10. EPFO और ESIC की सीमा को 2017 से VDA वृद्धि के अनुपात में बढ़ाकर ₹35000 प्रति माह किया जाना चाहिए, ताकि इसके नेटवर्क का विस्तार हो सके और औद्योगिक और अन्य श्रमिकों को निरंतर सुविधाएँ मिल सकें।
11. अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के सभी योगदानकर्ताओं, जिसमें कृषि श्रमिक भी शामिल हैं, को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए और उनके न्यूनतम वेतन को श्रेणीवार तय किया जाना चाहिए।
12. सुपर-रिच पर अतिरिक्त 2% कर लगाया जाना चाहिए, ताकि देश के सभी अनौपचारिक श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
13. जम्मू और कश्मीर से संबंधित आयातित मुद्दे:
    (a) सरकारी विभागों में स्थायी श्रमिकों के नियमितकरण के लिए पर्याप्त प्रावधान किया जाना चाहिए और जम्मू और कश्मीर (संघ राज्य क्षेत्र) में आकस्मिक, मौसमी और दैनिक वेतन श्रमिकों को न्यूनतम वेतन और सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए।

    (b) इसके अलावा, वन विभाग के विभिन्न विंगों में विभिन्न काडरों में वेतन विसंगतियों को दूर किया जाना चाहिए। जम्मू और कश्मीर (संघ राज्य क्षेत्र) के सामाजिक वानिकी विभाग के भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन किए जाने चाहिए ताकि नवीनीकरण की गई पदों के लिए पदोन्नति के अवसर उपलब्ध हो सकें, जो लंबे समय से लंबित हैं।

    (c) मौसमी श्रमिकों के कार्यकाल को 5 महीने से बढ़ाकर 9 महीने प्रति वर्ष किया जाना चाहिए।

    (d) NHM कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित किया जाना चाहिए।
14. सभी प्रकार की निजीकरण, कॉर्पोरेटाइजेशन और संसाधनों की टेंडरिंग को MNCs और भारतीय कॉर्पोरेट्स को बंद किया जाना चाहिए।
15. NPS/UPS को समाप्त किया जाए और OPS को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए।
    मान्यवर, हमें उम्मीद है कि आप हमारे द्वारा दिए गए सुझावों पर सकारात्मक रूप से विचार करेंगे, जो देश के चार सौ पचास मिलियन श्रमिकों/कर्मचारियों की जीवन शैली को सरल बनाने के लिए हैं।

धन्यवाद,
जय हिंद!

सादर,
[आपका नाम]
[आपकी स्थिति]
TUCC

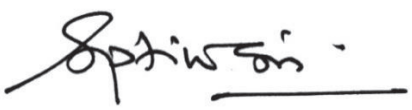

S.P Tiwari
National General Secretary, TUCC &
Member, CBT-EPFO, Govt. of India